GCMS 2025/324

न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट एवं उपखण्ड अधिकारी महवा जिला दौसा

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्य जज मनफूल बनाम अशोक मु0 नं. 117/2025	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
21.08.2025	प्रार्थी मनफूल की ओर से श्री भंवर सिंह अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 4 जा0दी0 पेश किया जिसके तथ्य इस प्रकार है कि उनवानी प्रकरण मनफूल बनाम अशोक वगै0 में 09.07.2025 तारीख पेशी नियत थी। जिसमें दावा वादी अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज कर दिया गया। उक्त वादपत्र में वादी वकील दीगर न्यायालय ए.डी.जे. महोदय महवा के न्यायालय में एक मुकदमा उनवानी सरकार बनाम हरसहाय वगै0 में दिनांक 09.07.2025 को पैरवी करने उपस्थित थे इसलिये न्यायालय समय पर श्रीमान न्यायालय में उपस्थित नही हो सके। मुकदमा उनवानी अभी प्रारम्भिक स्टेज पर है जो प्रार्थना पत्र के जबाव में चल रहा है। वादी वृद्ध आदमी है चलने फिरने मे असमर्थ है तथा स्वास्थ्य भी खराब रहता है इस कारण उक्त तारीख पेशी पर न्यायालय में हाजिर नही हो सका। अतः प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 4 जा0दी0 पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार फरमाया जाकर आदेश दिनांक 09.07.2025 को अपास्त कर वादी का दावा पुनः नम्बर पर लिये जाने के आदेश प्रदान करे। मूल पत्रावली दफ्तर से तलब की गई। हमने वकील प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनी। प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। मूल पत्रावली का अवलोकन किया। बाद गौर बहस व पत्रावली के अवलोकन पर पाया कि उक्त प्रकरण में प्रार्थी का हित निहित है। न्यायहित में प्रार्थी के हितो को देखते हुए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 4 स्वीकार योग्य पाये जाने पर स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 4 जा0दी0 स्वीकार किया जाकर प्रार्थी के वादपत्र को पुनः नंबर पर लिये जाने के आदेश दिये जाते है। प्रार्थना पत्र फैसल शुमार होकर मूल वाद संलग्न रहे। आदेश सुनाया गया। Manish	